GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2019/TG-I/20/P/JTBS **New Delhi dated 07.08.2019**

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 36 of 2019)

Sub: Jansadharan Ticket booking Sewaks (JTBS)

Ref: Letter no. 2014/TG-I/20/P/JTBS dated 21.03.2014 (CC No. 12 of 2014).

As per extant instructions JTBS has to make advance deposit for issuing of unreserved tickets and JTBS cannot issue the ticket if at any point of time the amount deposited by JTBS is less than Rs. 10,000/-. No upper limit has, however, been stipulated up to which a JTBS can make the deposit.

2. The matter has been examined in this office. It has now been decided that JTBS shall be allowed to deposit the maximum amount equivalent to 15 days daily average transactions of the JTBS during the previous financial year subject to the condition that the said amount does not fall below the prescribed lower limit of Rs. 10,000/-. In case of newly appointed JTBS, this limit can be decided by zonal Railways concerned with the approval of their Associate Finance.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2019/TG-I/20/P/JTBS **New Delhi dated 07.08.2019**

Copy forwarded to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

7.8.19
for Financial Commissioner, Railways

-2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

*****

सं.2019/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस **नई दिल्ली, दिनांक: 07.08.2019**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.36)

विषय: जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस)।

संदर्भ: दिनांक 21.03.2014 का पत्र सं.2014/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस
(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.12/2014)

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जेटीबीएस को अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी होती है और किसी भी समय यदि जेटीबीएस द्वारा जमा कराई गई राशि 10,000/- रु. से कम होती है तो जेटीबीएस टिकट जारी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, किसी जेटीबीएस द्वारा अधिकतम राशि जमा कराने की कोई उच्चतर सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

2. इस कार्यालय में मामले की जांच की गई है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि जेटीबीएस को पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसके 15 दिन के प्रतिदिन के औसत लेन-देन के समतुल्य अधिकतम राशि जमा कराने की अनुमति होगी, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि यह राशि 10,000/- रु. की निर्धारित निम्नतर सीमा से कम नहीं होगी। नव नियुक्त जेटीबीएस के मामले में यह सीमा संबंधित ज़ोनल रेलों के सह वित्त के अनुमोदन से निर्धारित की जा सकती है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

TG I JTBS Satvin

-2/-

सं.2010/टीजी-I/20/पी/जेटीबीएस **नई दिल्ली, दिनांक: 07.08.2019**

प्रतिलिपि अग्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार एवं सीएओ, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) ईडीवी (टी), ईडीएफ (सी), डीएफ (सी), ओएसडी/टी.सी., एफ (सी) एवं सतर्कता (एस.एस.) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) जीजीएम/आईटी/आई.आर.सी.टी.सी., बी-148, 11वां तल, स्टेटसमैन हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली।
4) प्रबंधक निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं.6, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

TG I JTBS Satvik